सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त करने का आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह गत दस अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सौम्या को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी करे

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को राहत देते हुए राज्य सरकार के गत 27 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को ग्रेटर निगम के मेयर पद से बर्खास्त कर दिया था। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह गत दस अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सौम्या को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सौम्या को हटाने वाला राज्य सरकार का 27 सितंबर का आदेश ही अब अस्तित्व में नहीं है तो फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसके लिए अभी चुनाव हो सकते हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए।

मामले में बुधवार को बहस अधूरी रहने के कारण अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुबह

- **अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सौम्या को हटाने वाला राज्य सरकार का 27 सितंबर का आदेश ही अब अस्तित्व में नहीं है तो फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसके लिए अभी चुनाव हो सकते हैं**

करीब 10.40 बजे अदालत ने सौम्या को बिना सुने बर्खास्त करने वाले आदेश पर राज्य के एएजी अनिल मेहता को कहा कि वे सरकार से निर्देश प्राप्त कर बताएं कि वे 27 सितंबर का आदेश वापस ले रहे हैं या अदालत इसे रद्द करे। इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई आधे घंटे टाल दी। वहीं बाद में वापस शुरू हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह 10 अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को नोटिस देकर उसे सुनवाई का मौका देते हुए नए सिरे से आदेश जारी करेंगे। ऐसे में याचिका निस्तारित कर दी जाए। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और याचिकाकर्ता को सुने बिना उसे मेयर पद से बर्खास्त किया है, जो गलत है। इसलिए राज्य सरकार के बर्खास्तगी वाले आदेश को रद्द किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सौम्या को बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल सौम्या ने अपनी याचिका में उसे मेयर पद से हटाने और छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने के साथ ही वार्ड में उप चुनाव करवाए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

उधर हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने कहा "मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था, वह आज भी कायम हैं और आगे भी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जीत सत्य की होगी।"

करोना से टोंक में एक संक्रमित की मौत

राज्य में गुरूवार को 31 नए मरीज मिले हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन गुरूवार को करोना से एक और संक्रमित की मौत हुई है। वहीं इस बीच राज्य में 31 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में रिकवरी अधिक होने से एक्टिव केस घटकर ढाई सौ से कम रह गए हैं।

प्रदेश में गुरूवार को टोंक में करोना से एक मरीज की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को बीकानेर में भी एक संक्रमित ने दम तोड़ा था। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9648 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पिछले चौबीस घंटों में राज्य के 9 जिलों में 31 नए संक्रमित मिले हैं। आज भी सबसे ज्यादा 16 नए संक्रमित जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर, चित्तौड़गढ़ व कोटा में 3-3, सीकर में 2 तथा डूंगरपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में

- **पिछले चौबीस घंटों में सर्वाधिक 16 नए संक्रमित जयपुर में सामने आए हैं**

5934 जांचे की गई है।

प्रदेश में गुरूवार को भी नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान राज्य में 78 मरीज ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 247 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में भी आज 36 संक्रमितों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 57 रह गए हैं।

राजधानी जयपुर में गुरूवार को 12 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें चाकसूं में तथा सिविल लाइंस, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गोविंदगढ़, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, फागी, सोड़ाला और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 4 संक्रमितों का पता गलत मिला है।

नेताओं की घेराबंदी के बीच वोट डालने नगर निगम पहुंचे पार्षद

जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर उपचुनाव में गुरूवार को भाजपा-कांग्रेस पार्षदों ने कतार लगाकर अपना मतदान किया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम के महापौर उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानियां में से मेयर चुनने के लिए भाजपा-कांग्रेस के पार्षद नेताओं की घेराबंदी के बीच नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, कई भाजपा पार्षद माथे पर राधे लिखकर वोट देने पहुंचे। पार्टी की मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी भी कुछ इसी अंदाज में मतदान करने पहुंची। सबसे पहले कांग्रेसी पार्षद वोट करने पहुंचे थे। इसके बाद भाजपा पार्षदों को पार्टी के बड़े नेता बाड़ेबंदी से निकालकर लाए। कांग्रेस के पार्षदों को चार-चार के बैच में वोटिग करने भेजा गया। जबकि भाजपा के पार्षदों को दो-दो की संख्या में मतदान करने के लिए अंदर भेजा। इससे पहले सुबह बाड़ेबंदी से कांग्रेस पार्षदों को एक बस में नगर निगम लाया गया। वहीं, करीब 11 बजे

- **नेताओं की घेराबंदी के बीच वोट डालने नगर निगम पहुंचे पार्षद**
- **सबसे पहले कांग्रेसी पार्षद चार-चार के ग्रुप में वोट डालने पहुंचे, फिर भाजपा पार्षद दो-दो के गुट में आए**

भाजपा पार्षदों की बस भी मतदान स्थल पहुंची।

कांग्रेस ने मेयर पद के लिए हेमा सिघानिया को जबकि भाजपा ने रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बुधवार देर रात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया होटल में पार्षदों से मिलने पहुंचे थे। मतदान कर बाहर निकलीं महिला पार्षदों ने विक्ट्री साइन बनाया। ग्रेटर नगर निगम में चुनाव के लिए दोनों पार्टी के बड़े नेता लगातार सक्रिय रहे।

विधायक अशोक लाहोटी, कालीचरण सराफ, नरपत सिह राजवी, रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री और विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा अपने-अपने क्षेत्र के पार्षदों को एकजुट करने में लगे। सभी ने पार्षदों से साफ कह दिया था कि यह हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं, कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की थी। हालांकि, उनकी बाड़ेबंदी में अधिक सख्ती दिखाई नहीं दी थी।

ज्ञात रहे कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी 10 नवंबर 2020 को ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर के चुनाव हुए थे। तब भाजपा से सौम्या गुर्जर उम्मीदवार थी, जबकि कांग्रेस से दिव्या सिंह। इन चुनावों में सौम्या गुर्जर को 150 में से 97 वोट मिले थे, जबकि दिव्या सिंह को 53 वोट। इस तरह सौम्या 44 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हुए नगर निगम ग्रेटर की पहली मेयर बनी थी।

जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धाभाई ने अपने दफ्तर में पहुंचकर उपचुनाव की गतिविधियों पर नजर बनाये रखी।

अदालती फैसला कांग्रेस सरकार के मुंह पर तमाचा : सतीश पूनियां

जयपुर (कासं)। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के चेहरे पर तमाचा पड़ा है। सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की चुनी हुई मेयर को हटाने की साजिश की। पूनिया ने कहा किसी भी हालत में जयपुर ग्रेटर मेयर तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, मेजोरिटी को किसी भी सूरत में कांग्रेस नकार नहीं सकती है।

बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होकर पूनिया ने कहा कि सरकार तो बदले और बदनीयती की राजनीति शुरू से कर रही थी। पिछले 2 वर्षों से जयपुर के साथ अन्याय किया। जयपुर समेत बीजेपी के जितने निकाय थे, उनको बिना वजह डिस्टर्ब करने का काम किया। विकास में बाधा बनी। वहां पर राजनीतिक षडयंत्र रचे। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हुए और उन्हें सफलता नहीं मिली तो पीछे से दरवाजे से अपने लोगों को काबिज करने की कोशिश की। अब कोर्ट ने एक तरीके का फैसला लिया है, इसका

- **उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि "न्यायालय के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं!" गहलोत सरकार की खोटी नीति और नीयत का पर्दाफाश हुआ है।**

रिजल्ट किस रूप में आता है यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पार्टी का पूरा पार्षद दल एकजुट था। सबने मतदान किया। काउंटिंग बाकी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उसे रोका है। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, वो तो कोर्ट और चुनाव आयोग तय करेंगे। लेकिन जैसी भी परिस्थिति रहेगी पार्टी उसका आंकलन करके आगे बढ़ेगी।

सौम्या गुर्जर को सुनवाई का पूरा मौका देने के कोर्ट के आदेश पर पूनिया ने कहा अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इस तरह के एपिसोड नहीं होते। कोर्ट क्या करता है, आगे वह क्या कार्रवाई करेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। कुल मिलाकर इससे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। पूनिया ने कहा किसी भी हालत में मेयर तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि हमारी मेजोरिटी है। हमारा बहुमत है, जिसे चाह कर भी वो किसी भी तरह से नकार है। सकते है।

वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं! गहलोत सरकार की खोटी नीति और नीयत का पर्दाफाश हुआ है। राज्य सरकार ने नौकरशाही का बेवजह इस्तेमाल करते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर को अपदस्थ करने के साथ ही 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की साजिश रची थी। न्यायालय के निर्णय ने यह साबित कर दिया कि सरकार ने विपक्षी पार्टी भाजपा के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मेयर, जिला प्रमुख, सभापति व प्रधानों को किस तरह से अपदस्थ करने की साजिश नौकरशाही के दम पर रची जा रही है।

सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं की कमर तोड़ी : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि अपने नीतिगत दस्तावेज जनघोषणा पत्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का दावा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पिछले दरवाजे से एक बार फिर महंगी दरों पर कोयला खरीदने के नाम पर प्रदेश के 1 करोड़ 42 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 21 पैसे अतिरिक्त प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के हिसाब से 375 करोड़ रुपये का जोरदार झटका देने का निर्णय किया है जिसकी वसूली आगामी नवंबर और दिसंबर 2022 के बिलों में की जायेगी। सरकार ने दीपावली के त्यौहार व शादी के अवसर पर फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश निकालकर विद्युत उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने और महंगाई का चाबुक चलाने का काम किया है।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्षीय कार्यकाल में अब तक फ्यूल सरचार्ज के रूप में औसतन 69 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर लादा जा चुका है जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज मात्र 18 पैसे प्रति यूनिट था। राज्य सरकार बिजली कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार कर महंगी दरों पर बिजली व कोयला खरीद, कृषि कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और चहेती निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए निरंतर उपभोक्ताओं की जेब काट रही है वहीं दूसरी ओर संस्थागत भ्रष्टाचार का तांडव मचाकर जमकर चांदी कूट रही है।

राठौड़ ने कहा कि कोयले के अतिरिक्त ब्रिज लिंकेज के माध्यम से विभिन्न निजी कोयला उत्पादन कंपनियों

- **'सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की बजाय राज्य सरकार महंगा कोयला खरीदने पर विशेष जोर दे रही है'**

को विद्युत उत्पादन निगम पूर्व में आवंटित कोल ब्लॉकों से 40 फीसदी अधिक महंगी दर पर खरीदकर उसकी धुलाई के नाम पर वाशरी ऑपरेटरों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार का ताना-बाना बुनने का काम कर रहा है। कोयले की धुलाई के कारण बिजली उत्पादन भी 40 पैसे प्रति यूनिट मंहगा पड़ रहा है और घरेलू कोयले के साथ विदेशी कोयले के 10 फीसदी सम्मिश्रण से 50 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त लागत का भार भी अंतोगत्वा उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा।

राठौड़ ने कहा कि सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की बजाय राज्य सरकार महंगा कोयला खरीदने पर विशेष जोर दे रही है। जबकि राजस्थान के क्षेत्रफलानुसार सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट यानी 1 लाख 42 हजार मेगावाट की है। सरकार निजी ऊर्जा विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ लाखों-करोड़ों रुपये के एमओयू करके हमारी बेशकीमती भूमि को रियायती दरों पर दे रही है।

आम सूचना प्लॉट नम्बर 720 गोकुल नगर योजना कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 252 वर्गगज को मेरे अभिभाष्य अभिजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह ने क्रय करने का विक्रेता राकेश साहू जरिये मुख्त्यारआम बी डी देवल से इकरारनामा निष्पादित किया है। उक्त सव्यवहार के संबंध में किसी को कोई आपत्ति/ऐतराज हो तो 7 दिवस के पश्चात अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें अन्यथा 7 दिवस के पश्चात किसी का कोई ऐतराज क्लेम करने का अधिकार नहीं होगा।
गोपाल ताखर, एडवोकेट, मो.नं. 9314626181

14 बाल कवियों को मिलेगा पुरस्कार

जयपुर, (का.सं.)। पं. जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी आगामी 14 नवम्बर को एक राज्यस्तरीय समारोह में अकादमी ओर से गठित चयन समिति ने राज्य भर से प्राप्त हुए बाल कवियों के वीडियोस का अवलोकन करने के बाद आज 14 बाल कवियों का चयन किया। इन बच्चों को आगामी 14 नवंबर को बालकवि सम्मान जोकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है से सम्मानित किया जाएगा।

सम्मानित होने वाले बच्चों को प्रत्येक प्रत्येक विजेता प्रतियोगी को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा।

पुणे में प्रदर्शनी के जरिये मतदाता जागरूकता बढ़ाने की कवायद

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय द्वारा आज महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में "मतदाता पंजीकरण-लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम" विषय पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जो एक मतदाता के

- **ब्यूरो की आउटरीच गतिविधियां और लोक-संगीत के कार्यक्रम, संचार के अत्यंत शक्तिशाली माध्यम हैं : राजीव कुमार**
- **ज्यादा संख्या में युवा पात्र मतदाताओं के पंजीकरण से ही इस लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है : अनूप चंद्र पाण्डेय**

रूप में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के महत्व को रेखांकित करती है और भारतीय चुनावों की भव्यता को प्रदर्शित करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा जिला चुनाव अधिकारी, पुणे के सहयोग से आयोजित ये तीन दिवसीय प्रदर्शनी, मतदाता जागरूकता को बढ़ाने की एक कवायद है जो आज मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 2023 के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के अवसर पर की जा रही है।

डीईओ पुणे ने प्रदर्शनी स्थल पर युवा मतदाताओं को नामांकित करने के लिए विशेष पंजीकरण शिविर भी लगाए

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय ने गुरूवार को महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में "मतदाता पंजीकरण-लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम" विषय पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

हैं। भारतीय चुनाव और मतदाता पंजीकरण के विषय को कई तरह से उभारा जा रहा है, जैसे- सीबीसी के वर्चुअल रियलिटी कियोस्क के माध्यम से जो मतदान केंद्रों को प्रदर्शित करते हैं,भारतीय चुनाव पर फ्लिप बुक,एक ऑगमेंटेड रियलिटी टच वॉल,एसएसआर2023फॉर्मों के डिजिटल प्रदर्शन और चुनावी कहानियों पर एक साउंड शो के माध्यम से। इनके अलावा चुनाव आयोग की नई पहलों पर एक अलग खंड भी है, स्वीप के दायरे का प्रदर्शन और भारतीय लोकतंत्र पर एक वॉल भी है। साथ ही, सीबीसी के गीत और नाट्यय कलाकारों ने "कोई मतदाता पीछे न छूटे" की ईसीआई वाली थीम पर रंगारंग प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर बोलते हुए सीईसी राजीव कुमार ने सीबीसी द्वारा लगाई गई रंगारंग प्रदर्शनी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में भी सीबीसी आउटरीच गतिविधियां संचार का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश का लोक संगीत यानी लोक गायन और लोक कथा की सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध,इतनी विविध और विस्तृत है कि इन्हें जानने-समझने में ही वर्षों लग जाएंगे। सीबीसी की अतिरिक्त महानिदेशक रंजना देव शर्मा ने कहा कि सीबीसी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रमों के तहत अपनी क्षेत्रीय और जमीनी गतिविधियों के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के संचार और आउटरीच अभियानों का एक अभिन्न अंग रहा है। देश भर में लगभग 150 स्थानों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, सीबीसी ने देश में विभिन्न संचार अभियानों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि इस संदेश को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सीबीसी ने अपनी सभी संसाधनों का उपयोग किया है जिसमें देश के नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए दूरदराज के गांवों में लोक कलाकार मंडलियों और फील्ड अधिकारियों द्वारा डेरा जमाना,युवाओं तक पहुंचने के लिए उन्नत तकनीकी घटकों का उपयोग करके अभियान चलाना आदि शामिल है।

'इण्डिया स्टोनमार्ट' का उद्घाटन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को इण्डिया स्टोनमार्ट-2022 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पत्थर व्यवसाय का एक लंबा इतिहास रहा है। आयामी पत्थर राजस्थान का एक प्रमुख खनिज है। देश-विदेश तक यहां के पत्थर को एक विशेष पहचान मिली है। राज्य सरकार निरंतर ऐसे फैसले ले रही है, जिससे खनन और उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही रोजगार और राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है।

गहलोत सीतापुरा में आयोजित इण्डिया स्टोनमार्ट-2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

शोक सन्देश

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र **पं. संतोष शर्मा (पं. संजय)** का स्वर्गवास दिनांक 03.11.2022 को हो गया है।
शोकाकुल- ओमप्रकाश शर्मा (पिता), सुनीता (धर्मपत्नी), बंशाग्र (पुत्र), सुरभि, साक्षी (पुत्रियां) एवं समस्त शर्मा परिवार
मो. 9680135215, 7737879219

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सार्वजनिक सूचना
ग्राम सिंवार तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 274/1221 में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3ए के अन्तर्गत अनुमोदन करवाकर भवन मानचित्र दिनांक 26.02.2018 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी किया गया था। उक्त जारी भवन मानचित्रों को निरस्त करवाते हुये 3ए के स्थान पर सामान्य योजना में परिवर्तन करवाकर संशोधित 90-ए करवाना चाहते है। उक्त परियोजना के पेटे विकासकर्ता की जयपुर विकास प्राधिकरण के पेटे कोई बकाया राशि नहीं है, एवं परियोजना में प्रस्तावित ईकाईयों मे से किसी का बेचान नहीं किया गया है। अतः विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत निरस्ती प्रार्थना/ संशोधित 90-ए एवं भवन मानचित्र समिति (बीपी) जविप्रा, जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक डी-1662 दिनांक 09.11.2022 के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी)/ उपायुक्त जोन-12 जविप्रा, जयपुर कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें। वरिष्ठ नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी)/उपायुक्त जोन-12 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय उपआवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2031 दिनांक-07.11.2022
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 74/18-ए मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 47.17 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री किशन चन्द अग्रवाल पुत्र श्री शंकर लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 889 दिनांक 02.06.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 25.05.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 4218 दिनांक 16.03.2005 के द्वारा श्री किशन चन्द अग्रवाल पुत्र श्री शंकर लाल के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। श्री किशन चन्द अग्रवाल द्वारा श्री आसाराम भाटिया पुत्र श्री चेलाराम भाटिया को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त कर दिया गया। मुख्त्यारनामा आम धारक द्वारा श्री किशन चन्द अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 15.12.2006 को करवाया गया। मुख्त्यारनामा आम धारक श्री आसाराम भाटिया के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री जयदेव मेहंदीरत्ता पुत्र श्री बलदेव लाल मेहंदीरत्ता को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 16.01.2007 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री जयदेव मेहंदीरत्ता की मृत्यु दिनांक 18.12.2021 को हो जाने के कारण इनकी पुत्री श्रीमती चन्द्रा तलवार पत्नी श्री वरुण तलवार ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती चन्द्रा तलवार पत्नी श्री वरुण तलवार के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती चन्द्रा तलवार पत्नी श्री वरुण तलवार के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन
मैं पूनम राठौड पत्नि No. JC472729A NB SUB. GOVIND SINGH ग्राम शेकिसर तहसील रामगढ, जिला सीकर, राज. बयान करती हूँ कि मेरे पति के सेना रिकॉर्ड में मेरा नाम पूनम कंवर से पूनम राठौड दुरूस्त किया जाए।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या मनफूली देवी पत्नि स्वर्गीय श्री गोपाल लाल, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान का पुत्र गणेश नारायण पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल लाल मेरी अभिभाष्या के कहने सुनने में नहीं है आये दिन शराब पीकर घरवालों व अन्य लोगों से लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता है जिससे मेरी अभिभाष्या के परिजन उससे बहुत दुखी है इस कारण मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र गणेश नारायण को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है मेरी अभिभाष्या अपने पुत्र गणेश नारायण के किसी भी कृत्य या संव्यवहार व मुकदमों के लिये भविष्य में जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सूचित रहे।
(अनिल कुमार शर्मा) एडवोकेट. मो.नं. 7790999020

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक:- DHC-II/2045 जाहिर आम सूचना दिनांक: 10/11/22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 5/204 मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 112.50 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री सुरेश कुमार जयपुरिया पुत्र श्री शिखर चन्द जयपुरिया को किया गया था जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3493 दिनांक 25.11.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 06.03. 1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2395 दिनांक 16.02.2004 के द्वारा श्री सुरेश कुमार जयपुरिया पुत्र श्री शिखर चन्द जयपुरिया के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 24.03.2004 को करवाया गया। श्री सुरेश कुमार जयपुरिया के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री नेमोलि कल्याण सुन्दरम वेंकटरामन पुत्र श्री स्वामी नाथन कल्याण सुन्दरम को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 13.05.2004 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री नेमोलि कल्याण सुन्दरम वेंकटरामन की मृत्यु दिनांक 21.11.2020 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती कमला वेंकटरामन पत्नी स्व. श्री नेमोलि कल्याण सुन्दरम वेंकटरामन ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती कमला वेंकटरामन पत्नी स्व. श्री नेमोलि कल्याण सुन्दरम वेंकटरामन के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती कमला वेंकटरामन पत्नी स्व. श्री नेमोलि कल्याण सुन्दरम वेंकटरामन के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

न्यायालय तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (राज.)
क्रमांक/भू.अ./2022/69 दिनांक-10.11.2022
आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी के खसरा नम्बर 135 रकबा 2.17 हैक्टेयर के खातेदार 1. उदया पुत्र किशना 2. रेवड पुत्र मंगला 3. नानछा पुत्र मंगला 4. बाल्या पुत्र बिरदा 5. जीवन पुत्र रूपला जाति बलाई की मृत्यु उपरान्त उनके वारिस 1. उदया के वारिस-रामगोपाल, भागीरथ, देवनारायण पुत्रान प्रभात, भौरी, सन्तरा पुत्रिया प्रभात, पार्वती पत्नी भगवान सहाय, लक्की, रबी पुत्रान भगवान सहाय, विमला सुशिला सुनीता, ममता, अनिता पुत्रिया भगवान सहाय, राजुलाल, प्रेमचन्द, ताराचन्द, भागचन्द, चेतन पुत्रान रामनाथ, ज्ञानी, मुन्नी पुत्रिया रामनाथ, नारायणी पत्नी रामनाथ, पूरण, मोहनलाल पुत्रान श्रवण, मीरा, हाला, मांगी, शीला पुत्रिया श्रवण, तीजा पुत्री उदया (फौत) वारिस रामगोपाल, रामधन माता तीजा, कमला पत्नी कजोडमल, सूरज पुत्र कजोडमल, टीना पुत्री कजोडमल, मन्नी पुत्री उदया 2. नानछ्या के वारिस-सुवालाल पुत्र नान्छया, प्रभाती पत्नी नान्छया (फौत), ग्यारसी लाल पुत्र नान्छया (फौत) - वारिस राधेश्याम पुत्र ग्यारसीलाल, मीना देवी पत्नी ग्यारसीलाल (फौत) 3. रेवड के वारिस - जगदीश, छीतरमल पुत्रान रेवड भूरी देवी पत्नी रेवड (फौत) 4. बाल्या के वारिस- बाबूलाल, गणपत पुत्रान हनुमान, रूपा पत्नी हनुमान (फौत), भगवान, बाबुलाल पुत्रान घासीलाल, गुलाब पत्नी घासीराम (फौत), राजकुमार, सत्यनारायण, जगदीश पुत्रान गोपाल, पार्वती पत्नी गोपाल, 5. जीवण के वारिस- रूपा पत्नी जीवन (फौत) रतनलाल, हीरालाल, प्रहलाद पुत्रान गुल्लाराम, प्रभाती पत्नी गुल्लाराम (फौत), नरेश, कमल पुत्र भौरीलाल, पुष्पा रामजीलाल पुत्रान लक्ष्मण के नाम नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थीगण पूरण, गोपाल, रतनलाल, सुवालाल, जाति बलाई के द्वारा प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कुर्सीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में उपरोक्त खातेदारान के अन्य कोई वारिस हो या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो आम सूचना जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कोई उज्र/आपत्ति नहीं सुनी जावेगी एवं उक्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने का निर्णय कर दिया जावेगा।
तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 2855 दिनांक 18.07.2006 जारी कर आवास संख्या-1/6 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 198.00 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्री आर.के. माथुर के पक्ष में किया गया था। श्री आर.के. माथुर (राज किशोर माथुर) की मृत्यु दिनांक 21.03.2022 को हो जाने के कारण श्री मनीष कुमार माथुर पुत्र डॉ. स्व. श्री राज किशोर माथुर के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री मनीष कुमार माथुर पुत्र डॉ. स्व. श्री राज किशोर मथुर के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rrajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2042 दिनांक-10.11.2022
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्ड द्वारा आवास संख्या 22/37/02, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 119.66 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश कुलश्रेष्ठ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 585 दिनांक 30.06.1998 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 05.10.1998 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1331 दिनांक 16.05.2006 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश कुलश्रेष्ठ के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात श्री अरविन्द कुमार की मृत्यु दिनांक 29.08.2012 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती ममता कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व. श्री अरविन्द कुमार ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती ममता कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व. श्री अरविन्द कुमार के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती ममता कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व. श्री अरविन्द कुमार के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचनाउप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया पाया
मेरे प्लॉट नम्बर 1, जो तेजाजी नगर, तृतीय स्कीम, जयसिंहपुरा खोर (बोबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड से आवंटित था) के समस्त कागजात रामगढ मोड से जयसिंहपुरा खोर के बीच कहीं खो गये है मिलने पर सूचित करें। प्रकाश सैनी-8078606740

मेरे GNM Nursing का Diploma व रजिस्ट्रेशन नंबर (V-59101, Date 28.11.2019) सोनाली कॉलेज ऑफ गुना, मध्य प्रदेश से कहीं गुम हो गया है, मिलने पर सूचित करें। सपना पुत्री अजीत सिंह-9694037155

मेरा मकान संख्या 92/120 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें। गंगासिंह-9829023587